23/1/26

पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आज
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निर्णय
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] हो

[illegible] [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/198

...यालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

...वली संख्या 85/2024 GCMS:-2024/198 दायरा दिनांक 29/11/2024

1. चरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा हाल आबाद 6 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. सेवक सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा हाल आबाद 6 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——— प्रार्थी

ब ना म्

1. श्रीमती जसवन्त कौर (परिवर्तित नाम सरजीत कौर) पत्नि गुरादिता सिंह उर्फ गुरदिता सिंह उर्फ गुरासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ हाल आबाद चक 2 के.वाई.एम. तहसील लूनकरनसर हाल खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान आधार सं. 4590 9980 0723 मो0 99280 99142

2. बलकरण सिंह पुत्र श्री भगवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर आधार सं. 9198 2262 1575 मो0 83027 38132 (फौत)

2/1 श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नी श्री भगवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/2 श्रीमती किरणदीप कौर पत्नी स्व0 श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/3 किरत कौर
2/4 अलखजोत सिंह
} पुत्री व पुत्र स्व0 श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा बउम्र करीब 16 व 15 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता किरणदीप कौर पत्नी स्व0 श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़।

3. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा चक 2 एस.जी.एम. भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5. राजस्थान—सरकार जरिये भू—प्रतिनिधी तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

6. श्रीमान् उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——— अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना—पत्र—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

उपस्थित अधिवक्ता :—

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा एवं श्री भगवानदत्त शर्मा वकील प्रार्थीगण।
2. 1, 2/2 ता 2/4 श्री अजय कुमार अरोड़ा, सुभाष बिश्नोई व श्री राकेश सारस्वत, वकील अप्रार्थी।
3. श्री गुरविन्द्र सिंह वकील अप्रार्थी सं. 4
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 23.01.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान/वकील के अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी/अप्रार्थी नं. 1 के विरूद्ध इकतरफा सुनवाई के आदेश पारित है। अप्रार्थी सं. 1, 2/1 से 2/4 व 4 के अभिभाषक उपस्थित शेष के विरूद्ध उपस्थित ना होने पर इकतरफा आदेश पारित होने के उपरान्त बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

अंतर्गत इस कथन का प्रस्तुत किया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 4 के.एस.आर. सम्वत् 2050 से 2053 संयुक्त खाता सं. 22 पत्थर नं. 57/344 किला नं. 13/3 में 0.190 है0, 14 ता 24 की 2.783 है0, 25/1 की 0.126 है0 कुल 3.099 है0 नहरी खातेदारी भूमि जसवन्त कौर पत्नी गुरदिता सिंह जाति जटसिख निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ (अप्रार्थी नं. 1) के नाम से 125 हिस्सा अर्थात 6.05 बीघा नहरी खातेदारी भूमि अंकित थी जिसको अंकित काश्तकार जसवन्त कौर द्वारा प्रार्थीगण को बजरिये विक्रय–पत्र पंजीबद्ध उपपंजीयक, सूरतगढ़ दिनांक 02.06.1994 को हस्तान्तरित कर मौका पर कब्जा सौंप दिया गया था। इसका तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा नामान्तरकरण सं. 53 दिनांक 25.02.1996 को वादीगण (प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के नाम) स्वीकृत कर दिया गया व जमाबन्दी सम्वत् 2054 ता 2057 की खाता सं. 77 नई 22 पुरानी में अंकन भी कर दिया गया। इसी दौरान गुरदिता सिंह ने एक वाद–पत्र सं. 24/95 सक्षम अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में प्रस्तुत कर उक्त खाते की 3.099 हैक्टयर भूमि में से 120 हिस्सा यानि 6 बीघा भूमि गुरदिता सिंह, सरजीत सिंह, हरचन्द सिंह पुत्र दरबार सिंह तीनों भाईयों के द्वारा बहिस्सा बराबर खरीद बताते हुए खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में सरजीत सिंह, हरचन्द सिंह पि0 दरबारा सिंह के नाम अंकन होने व स्वयं गुरदिता का नाम छूट जाने से अपने हक की घोषणा हेतु वाद किया जिसको दिनांक 25.06.1997 स्वीकार कर गुरदिता सिंह, सरजीत सिंह, हरचन्द सिंह पिसरान दरबारा सिंह को 120 हिस्सा में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर रिकार्ड में अंकन के आदेश पारित किये गये। इसमें भी बतौर प्रतिवादी सं. 3 सहकाश्तकार जसवन्त कौर 125 हिस्सा की अंकित खातेदार काश्तकार के पक्षकार बनाई गई थी। इसके बाद गुरदिता ने अपने नाम अंकित 40 हिस्सा अर्थात 2–00 बीघा काकू सिंह पुत्र सरजीत सिंह को जरिये बैयनामा दिनांक 05.09.1997 के द्वारा विक्रय कर दी। इसका नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया जो कि नामान्तरण सं. 73 दिनांक 23.06.1998 का है। इसमें नामानतरण गुरदिता सिंह का बैयनामा के आधार पर काकू सिंह पुत्र सरजीत सिंह का किया जाना था। इस नामान्तरण को अंकित करते समय प्रार्थीगण को विक्रय की जा चुकी नामान्तरण सं. 53 द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2054 ता 2057 की खाता सं. 77 नई 22 पुरानी में प्रार्थीगण के नाम से अंकित भूमि में बिना किसी आदेश के प्रार्थीगण को विक्रय शुदा भूमि को जसवन्त कौर का नाम परिवर्तित कर सरजीत कौर पत्नी गुरदिता सिंह जोड़ते हुए अंकित कर दिया गया व इसी साजिश के फलस्वरुप पूर्व में प्रार्थीगणों को विक्रय की गई एवं कब्जा में सौंपी हुई भूमि जो जसवन्त कौर द्वारा वादी (प्रार्थीगण) को दी गई थी को पुनः बजरिये विक्रय–पत्र दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अप्रार्थी नं. 2 बलकरण सिंह पुत्र भगवन्त सिंह को करवा दी जबकि यह भूमि पूर्व में ही जसवन्त कौर पत्नी गुरदिता सिंह द्वारा प्रार्थीगण को वैध दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित को करवा दी थी व बाद में स्वयं का नाम जसवन्त कौर से परिवर्तित कर सरजीत कौर करते हुए व नामान्तरण सं. 73 दिनांक 25.06.1998 से पूर्व कहीं भी खातेदार काश्तकार ना होते हुए भी कपटपूर्ण साजिशाना अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाकर इसका लाभ उठाकर उक्त विक्रयशुदा भूमि का पुनः विक्रय अप्रार्थी नं. 2 बलकरण सिंह को कर दिया जो कि अवैध एवं शून्य है। मौका पर द्वितीय खरीददार का कतई कब्जा नहीं है व द्वितीय खरीददार अंकन का लाभ उठाकर भूमि विक्रय करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। इसलिये अप्रार्थीगण को वाद चलन तक इन्हें स्थगन आदेश द्वारा पाबन्द करने की प्रार्थना की गई कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में स्वयं और अपने आदमियों के सहयोग से किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें और भूमि बजरिये रहन बैय हस्तान्तरित ना करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण को इकतरफा सुनकर दिनांक 29.04.2024 को अन्तरिम स्थगन आगामी दिनांक तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण के द्वारा बनाये रखने का प्रदान कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 और 4 ता 6 के वाद पंजीकृत तलबी हाजिर नहीं होने पर इनके विरुद्ध दिनांक 27.06.2024 व 03.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थना–पत्र [illegible] के दौरान ही अप्रार्थी नं. 2 की मृत्यु होने पर उनके वारिसों अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/4 को [illegible] करके तलब कर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा चक 4 केएसआर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2050 की संयुक्त खाता सं. 22 नई 22 पुरानी में मु. नं. 18 प. नं. 57/344 किला नं. 13/2/0.190, 14 ता 24/2.783, 25/1/0.126 कुल 3.099 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि 125 हिस्सा यानि 6–05 बीघा की अंकित

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हिस्सेदार व खातेदार अप्रार्थी सं. 1 जसवन्त कौर पत्नी गुरदिता सिंह से पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 02.06.1994 को उसके हिस्सा की भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। इसी प्रथम हस्तान्तरण पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर नामान्तरकरण सं. 53 दिनांक 25.02.1996 को उनके नाम हुआ। जमाबन्दी सम्वत् 2054 ता 2057 की खाता सं. 77/22 में अंकन भी प्रार्थीगण के नाम से हो गया। जो कि प्रस्तुत दस्तावेजी पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 02.06.1994 व राजस्व रिकार्ड के नामान्तरकरण सं. 53 व जमाबन्दी सम्वत् 2054 ता 2057 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है। इसी दौरान उक्त जमाबन्दी में जसवन्त कौर पत्नी गुरदिता सिंह के सहखातेदारान सरजीत सिंह व हरचन्द सिंह पिसरान दरबारा सिंह जाति जटसिख साकिन श्योपुरा खातेदारान के भाई गुरदिता सिंह पुत्र दरबारा सिंह के द्वारा एक वाद–पत्र संख्या 24/1995 अनवान् गुरदिता सिंह बनाम् सरजीत सिंह वगै0 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में प्रस्तुत कर उक्त संयुक्त खाता की 3.099 है0 नहरी खातेदारी भूमि में से 120 हिस्सा सरजीत सिंह व हरचन्द सिंह पि0 दरबारा सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर अंकित भूमि तीनों भाईयों गुरदिता सिंह – सरजीत सिंह व हरचन्द सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर खरीद बताते हुये खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में गुरदिता सिंह का नाम छूट जाने से अपने हक की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.1997 को स्वीकार किया गया और गुरदिता सिंह – सरजीत सिंह व हरचन्द सिंह पिसरान दरबारा सिंह को 120 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर रिकार्ड में अंकन के आदेश पारित किये गये। उक्त वाद–पत्र में मु0 जसवन्त कौर सहखातेदार बतौर प्रतिवादी सं. 3 की हैसियत से पक्षकार बनाई गई थी। इसके बाद गुरदिता सिंह ने अपने नाम से अंकित 40 हिस्सा यानि 2–00 बीघा भूमि काकू सिंह पुत्र सरजीत सिंह को विक्रय कर दी। जो कि राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 23.06.1998 द्वारा अंकित हुई। इस नामान्तरकरण को अंकित करते समय प्रार्थीगण को जसवन्त कौर पत्नी गुरदिता सिंह के द्वारा अपने 125 हिस्सा की विक्रय की हुई भूमि को जसवन्त कौर का नाम परिवर्तित कर सरजीत कौर पत्नी गुरदिता सिंह जोड़ते हुये सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर साजिश रचकर रिकार्ड में अंकित कर दिया गया व इसी साजिश के फलस्वरुप पूर्व में प्रार्थीगण की विक्रय की हुई भूमि जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि को पुनः जानबूझकर जरिये बैयनामा दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 बलकरण सिंह पुत्र भगवन्त सिंह के साथ मिलीभगत कर उसके नाम करवा दिया गया, इसे आगे रहन भी अंकित करवा दिया है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रथम प्रार्थीगण को भूमि विक्रय करने के पश्चात बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उनका नाम हटवाकर अपने परिवर्तित नाम सरजीत कौर पत्नी गुरदिता सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में मिलीभगत से अंकित होने का फायदा उठाकर पुनः द्वितीय अप्रार्थी सं. 2 के नाम से करवाया गया बैयनामा विधिक रुप से अवैध और शून्य की परिभाषा में आता है। एक बार अंकित खातेदार के द्वारा अपनी भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा हस्तान्तरण कर दिये जाने पर उसके अधिकार समाप्त हो जाते है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा पुनः दूसरे अप्रार्थी सं. 2 को करवाये गये बैयनामा से क्रेता अप्रार्थी सं. 2 को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम से स्वीकृत नामान्तरकरण और जमाबन्दी में हुआ अंकन भी अवैध व शून्य है। जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। ऐसे मामलों में अंकित खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित होने के कारण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दिनांक 02.06.1994 को खरीद की दिनांक से चली आ रही भूमि पर से उन्हें जबरन बेदखल करने को वे स्वयं और अपने आदमियों के सहयोग से बेदखल करने और भूमि को आगे हस्तानरित करने की धमकियां दी जाती आ रही है। यदि वाद चलन के दौरान मौका पर से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया या आगे हस्तान्तरित कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और पक्षकारान के मध्य विवाद तो बढ़ेगा ही एवं काफी कानूनी पेचिदगिया उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा एवं संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 में भी प्रावधान है कि वाद होने पर सम्पत्ति विवादित हो जाती है और उसमें किसी प्रकार परिवर्तन न्यायालय के आदेश के बिना अवैध माना जाता है। प्रार्थीगण के द्वारा जसवन्त कौर वगैरहा के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा सं. 98/2024 अनवान चरण सिंह वगै0 बनाम जसवन्त कौर अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी, 166, 217, 218, 219 भारतीय दण्डसंहिता का अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ की अदालत में पेश किया हुआ है जिसमें दिनांक 24.10.2024 को प्रसंज्ञान जसवन्त कौर वगैरहा के विरूद्ध लेते हुये कार्यवाही अदालत द्वारा की जा रही है। जिसके विरूद्ध निगरानी पेश की गई थी जो कि अपर सेशन न्यायाधीश सूरतगढ़ द्वारा निरस्त की जा चुकी है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 4 पर

स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद–पत्र तक प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्तवाली भूमि पर से जबरन स्वयं या अपने आदमियों के सहयोग से बेदखल ना किये जाने और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश द्वारा पाबन्द किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावे। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RRT 2017(1) पेज सं. 740 राजस्थान उच्च न्यायालय, DNJ–2012(2) (Rev.) पेज सं. 1158, 1151, RBJ–2020 पेज सं. 82, RBJ–2016 पेज सं. 468, RBJ–2019 पेज सं. 129, DNJ–2023(2) पेज सं. 1228 प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उनके पुत्र, पति व पिता के द्वारा प्रतिफल देकर भूमि खरीद की गई है जो कि जमाबन्दी में अंकित काश्तकार से भूमि क्रय की गई है। मौके पर प्रार्थीगग का कब्जा नहीं है। अंकित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी एकतरफा स्थगन आदेश गलत जारी किया गया है इसलिये प्रार्थना–पत्र स्थगन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परीक्षण करने के उपरान्त पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2050 खाता संख्या 22 चक 4 केएसआर में पत्थर नं. 57/344 किला नं. 13/2, 14 ता 25 की कुल 3.099 है0 भूमि में अप्रार्थी सं. 1 जसवन्त कौर के नाम 125 हिस्सा नहरी भूमि दर्ज कागजात है। इसी भूमि का हस्तान्तरण जसवन्त कौर के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय –पत्र दिनांक 02.06.1994 के माध्यम से प्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर का किया हुआ है। दस्तावेजी रिकार्ड चक 4 केएसआर में नामान्तरकरण सं. 53 दिनांक 25.02.1996 की स्वीकृति द्वारा अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2054 ता 2057 में भी प्रार्थीगण के नाम से हो चुका था जो दस्तावेजी रिकार्ड से प्रथम दृष्टया साबित है। इसके बाद किस सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा जसवन्त कौर का नाम सरजीत कौर पत्नी गुरदिता सिंह हुआ कतई स्पष्ट नहीं है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 23.06.1998 जिसमें मु0 जसवन्त कौर का नाम सरजीत कौर परिवर्तित कर अंकन किया गया है व नामान्तरकरण बैयनामा गुरदिता सिंह पुत्र दरबारा सिंह द्वारा अपने नाम से अंकित 40 हिस्सा भूमि दिनांक 05.09.1997 के विक्रय–पत्र द्वारा काकू सिंह पुत्र सरजीत सिंह को ही की गई भूमि का है। उसमें जसवन्त कौर का नाम परिवर्तन कर अंकन किस प्रकार हुआ प्रकट नहीं होता है। अप्रार्थीग्ण के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व अपनी बहस में इसको किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया गया है। तमाम स्थिति संदेहपूर्ण है जिसका निर्णय वाद–पत्र में पूर्ण सुनवाई पर ही होगा द्वितीय इस स्तर पर अप्रार्थीगण सं. 2/1 से 2/4 का नामान्तरकरण भी अंकित नहीं है। यदि नामान्तरकरण होगा तब भी वाद की स्थिति बदलेगी। विवादग्रस्त कृषि भूमि का प्रथम पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.06.1994 को जसवन्त कौर पत्नि गुरदिता सिंह के द्वारा प्रार्थीगण के नाम से करवाया गया है। इसके पश्चात इसी विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण जसवन्त कौर के परिवर्तित नाम सरजीत कौर पत्नि गुरदिता सिंह के नाम से बिना किसी आदेश के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं. 73 दिनांक 23.06.1998 के द्वारा जो कि गुरदिता सिंह पुत्र दरबारा सिंह के द्वारा बैयनामा दिनांक 05.09.1997 द्वारा काकू सिंह पुत्र सरजीत सिंह को विक्रय की गई भूमि के स्वीकृत द्वारा जमाबन्दी में अंकन द्वारा कर दिया गया। इसी अंकन के आधार पर आगे नई बनी जमाबन्दीयों में अंकन से अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने परिवर्तित नाम से अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दिनांक 22.02.2023 को पूर्व में प्रार्थीगण को विक्रय की जा चुकी भूमि का पुनः दूसरा बैयनामा करवाया गया और इसी के आधार पर नामान्तरंकरण द्वारा अंकन हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित RRT–2017(1) पेज सं. 740 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनवान् पनछाराम बिश्नोई बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फार राज0 में "After execution of first registered sale deed, subsequent registered sale deed would [illegible] any right in the property. DNJ–2021(2)(Rev.) पेज सं 1158 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा [illegible] सम्पतलाल बनाम् कलवन्तराय में "After executing the registered sale deed, the vendor [illegible] owner has no right to sale the land and the subsequent sale deed is illegal and void. DNJ–2021(2)(Rev.) पेज सं. 1151 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अनवान् कलवन्त [illegible] Title would be valid in respect of first document and subsequent sale deeds are against the law and void and mutation attested on the basis of subsequent sale deed are illegal and void का सिद्धान्त प्रतिपादित किये हुये है। जो इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होते है। उक्त विधिक सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 5 पर

द्वारा प्रथम विक्रय–पत्र निष्पादित किये जाने के पश्चात पुनः परिवर्तित नाम से अंकन राजस्व रिकार्ड में पूर्व क्रेतागण/प्रार्थीगण का नाम बिना किसी विधिक आदेश के हटवाकर अपने नाम से अंकन करवाकर इसी विवादग्रस्त विक्रित भूमि का अप्रार्थी सं. 2 बलकरण सिंह जो कि अप्रार्थी सं. 2/1 का पुत्र और 2/2 का पति व 2/3 ता 2/4 का पिता था के नाम से करवाया गया दूसरा विक्रय–पत्र जो निष्पादित करवाया गया और नामान्तरकरण द्वारा अंकित होकर राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अंकित हुई है। यह तमाम कार्यवाही प्रथम दृष्टया अवैध व शून्य की परिभाषा में आती है। अप्रार्थीगण सं. 2/1 ता 2/4 के द्वारा अपने पुत्र, पति व पिता के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार होने के और वे अंकित खातेदार के वारिस होने के कारण उनके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित RBJ–2020 पेज 82 पर प्रकाशित अनवान प्रेम बनाम् जयपाल में Sec. 212 RT Act–Order of Temporary Injucation can be passed against the recorded tenant" का RBJ–2016 पेज सं. 468 पर प्रकाशित अनवान् कर्नल संतप्रकाश बनाम् हरजोश सिंह में "Sec–212 R.T.Act — It is established basic principle that the property in dispute to be preserved till final decision of the case." RBJ–2019 पेज नं. 129 पर प्रकाशित अनवान् नोजी देवी वगै0 बनाम् प्रेमसिंह वगै0 में Sec–212 R.T. Act – The legislative intent is also that status quo should be maintained till entimation of proceedings if the parties have arguable case on merit so other wise the nature of the subject matter may change leading to multiplicity of proceedings and legal complication" DNJ–2023(2) (Rev.) पेज सं. 1228 अनवान् शुभराज सिंह बनाम् विरेन्द्र सिंह में RT Act–212 – Temporary injuncation – Dispute over khasra No. 1754/1874 – RAA set aside the order of granting temporary injuncation – RAA was not justified in setting aside the judgement and given open licence to sell or transfer the land pending disposal of the suit procecting the land is justified – Held order passed by the trial Court is restored" का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जो कि इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। प्राथमिक रुप से मामला प्रार्थीगण का बनता है और सुविधा व संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बेदखल किये जाने, भूमि आगे हस्तान्तरित किये जाने, जेर प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि के मौका व रिकार्ड की परिस्थितियों में परिवर्तन करने पर और पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने एवं पक्षकारान के मध्य कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न होने पर अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिये प्रार्थीगण के अधिकारों को वाद–पत्र के निर्णय तक न्यायहित में सुरक्षित किया जाना अतिआवश्यक है। इसलिये प्रार्थना–पत्र में अंकित विवादग्रस्त कृषि भूमि पर से प्रार्थीगण को जबरन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से बेदखल ना किये जाने और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद–पत्र बनाये रखने के स्थगन आदेश द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को चक 4 केएसआर तहसील सूरतगढ़ के मु. नं. 18 प. नं. 57/344 किला नं. 13/2/0.190, 14 ता 24/2.783, 25/1/0.126 कुल 3.099 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 2 के नाम से अंकित 125 हिस्सा यानि 6–05 बीघा यानि 527/10[illegible] को जबरन किसी भी प्रकार से बेदखल ना करने और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] रखने के इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2024 को जारी एकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को फैसला वाद–पत्र तक पुष्ट CONFIRM करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:34 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 23/01/2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)